बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः– 7/अ0प्र0–2–1/2025

पटना, दिनांकः–

प्रेषक,

संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य/अकार्य अंचल
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य/अकार्य प्रमंडल

विषयः– पेंशन/सेवान्त लाभ के मामलों को त्वरित गति से निष्पादित करने एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 15 तारीख तक उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके कार्य अंचल/प्रमंडल से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही ग्रुप बीमा/अव्यवहृत अर्जित अवकाश/पेंशन तथा उपादन की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्ति के 6 (छः) माह पूर्व ही प्राप्त कर पेंशनादि स्वीकृति हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज दिया जाय, ताकि सेवानिवृत्ति की तिथि तक उनके पेंशनादि स्वीकृत हो सके। यदि किसी कर्मी पर आरोप हो, असामयोजित अग्रिम या अन्य कार्यवाही लंबित हो तो नियमानुसार वैसी स्थिति में अधिकतम 90 प्रतिशत तक औपबंधिक पेंशन (उपादान की राशि को छोड़कर) की स्वीकृति सेवानिवृत्ति की तिथि को निश्चित रूप से कर देने की कार्रवाई की जाय।

सेवानिवृत कर्मी के अव्यवहृत अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की राशि तभी रोकना है, जब उस पर असमायोजित अग्रिम लंबित हो/वसूली करनी हो/विभागीय कार्यवाही संचालित हो।

यदि किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है,तो उसकी पत्नी को नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि/ग्रुप बीमा की राशि आदि का भुगतान किया जाय। अन्य मामले में उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र/अंचल अधिकारी से वंशावली प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाय।

ग्रामीण कार्य विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों की सेवा निवृत्ति से 6 (छः) माह पूर्व ही उनके विभिन्न पदस्थापन के स्थानों से संबंधित सामान्य भविष्य निधि में की गयी कटौती विवरणी एवं अवकाश लेखा की सूचना प्राप्त कर ली जाय, ताकि सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि कार्यालय से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने में विलम्ब न हो।

यदि किसी कर्मी से पेंशनादि कागजात प्राप्त नहीं हो रहा हो तो, कार्यालय में कार्यरत किसी कर्मचारी को पेंशनादि कागजात प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत कर पेंशन/सेवान्त लाभ के निष्पादन की त्वरित कार्रवाई की जाय।

उल्लेखनीय है कि पेंशन/सेवान्त लाभ के कतिपय मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है कि संबंधित कनीय अभियंता/कर्मी का सेवापुस्त उपलब्ध नहीं होने/लेखा का सत्यापन नहीं होने/कटौती विवरणी अप्राप्त रहने आदि के कारण पेंशनादि का लाभ

लम्बित है। यह भी प्रतिवेदित किया जाता है कि संबंधित कर्मी के द्वारा इस प्रमंडल/अंचल अन्तर्गत पूर्व पदस्थापित स्थान से एल0पी0सी0 अप्राप्त रहने के कारण वेतनादि का भुगतान नहीं किया गया है। यह क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय प्रधान अर्थात अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व है कि प्रत्येक कर्मी/पदाधिकारी का पूर्व पदस्थापित स्थान से सेवापुस्त/एल0पी0सी0 विशेष दूत प्राधिकृत करते हुये प्राप्त कर वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

सेवान्त लाभ के लंबित मामलों के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा वाद दायर किया जाता है और इससे राज्य सरकार को वित्तीय क्षति का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पेंशनादि के भुगतान से सम्बन्धित मामलें के निष्पादन हेतु माननीय लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में भी सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा वाद दायर किया जाता है। पेंशनादि के भुगतान नहीं होने के कारण विभाग को उत्तरदायी ठहराया जाता है।

विदित हो कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्रत्येक माह पेंशन/सेवान्त लाभ के लंबित मामलों की समीक्षात्मक बैठक सम्बन्धित विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ आयोजित की जाती है। साथ ही पेंशन/सेवान्त लाभ के लम्बित मामलों की समीक्षा माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना के द्वारा की जाती है एवं लम्बित मामलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज/क्षोभ व्यक्त किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए पूर्व से लंबित पेंशन एवं सेवान्त लाभ के मामलों को अविलम्ब निष्पादित किया जाय। साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन/सेवान्त लाभों के भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन ही हर हालत में देना सुनिश्चित किया जाय। तत्संबंधी प्रतिवेदन वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित–प्रपत्र में प्रत्येक माह के पन्द्रह (15) तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय। यदि आपके कार्यालय में पेंशन/सेवान्त लाभ के मामलें नहीं है तो प्रतिवेदन शून्य करके उपलब्ध कराई जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–7/अ0प्र0–2–1/2025 8777
पटना, दिनांक 13.8.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–01, 04, 05, 06 एवं 08 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संबंधित प्रशाखा को निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने प्रशाखा से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 15 तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

SKumar
13/8/25
सरकार के अवर सचिव